

प्रपत्र - 3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1. परियोजना का नाम : रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को उपयोग पर देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : 1.800 हे.
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति :

	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
	रायगढ़	रायगढ़	पुटकापुरी (कोड़ातराई)
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण :

	वनखण्ड	कक्ष क्र. /खसरा क्र.	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
क. आरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक
ख. सीमांकित संरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक
योग :			0.000
ग. असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन)	निरंक	निरंक	निरंक
घ. राजस्व वन क्षेत्र	राजस्व वन भूमि	133/1	1.800
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : राजस्व वन भूमि
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : निरंक
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति : —
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।) : संबंधित नहीं है।
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, : नहीं है।

अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।

11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- पुटकापुरी (कोडातराई)

दिनांक :- 26/10/16

मुख्य वन संरक्षक/व.म.अ. के हस्ताक्षर
बिलासपुर वृत्त/रायगढ़ वनमण्डल
मय सील